फर्द अहकाम

नियम – 26

अज अदालत :– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, केकड़ी
प्र.सू.रि.सं. 21/24 थाना केकड़ी सदर
मुकदमा संख्या 3/26
सी.आई.एस. सं. 3/26
बनवारी बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2026	परिवादी व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित। समय 4:30 पी.एम हो रहा है। बार–बार आवाजे लगावाई गईं, परंतु परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना केकड़ी सदर की ओर से न्यायालय द्वारा जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ था, जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि नोटिस की तामील परिवादी को करवायी जा चुकी है, जिस पर परिवादी बनवारी चौधरी के हस्ताक्षर भी होना दर्शित होता है। परंतु परिवादी नोटिस उसे प्राप्त हो जाने पर भी आज न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। इस प्रकार यह जाहिर होता है कि परिवादी एफ.आर. चलाने में इच्छूक नहीं है। इस स्तर पर न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. का अवलोकन किया गया, जो अदम वकु झूठ के आधार पर पेश की गई है। बाद अवलोकन, न्यायालय पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. से संतुष्ट है। फलस्वरूप, प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। केस डायरी लौटाई जावे।	